Representations for protection to beedi/fobacco se:tor labourers 111 Tamil nadu

2577. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Givernment have received representations to protect beed and tobacco sec or labourers from unemployment due to restrictions imposed thereon;

(b) if so, the details of such restriction;

tc) how Government would frame re-employment scheme for Tarn 1 Nadu beedi and tobacco sector labourers;

(d) the details of measur.-s to prelect empfoymenl in Tamif .Vaiiu;

(e) whether Government have evinced any interest in studying the impact of anti-tobac:o and anti-beei'.i legislation on employment: and

(fl the reasons tor not having an acti*« employment policy for the sector?

THE MtNISTER OF STATE OF THE M/NmRy OF LABOUR (SHRI M I RIM)RA KUMAR, (f,)Goemmrnt bate ric i ,d f: *m* at appre- ner«lr»l adverv of certain pro- to discourage and 'm the res- c m- noctlon are not for bannine use or sale of nasccnbet , on arcess and disposal

we aae nam* there movies of teh of Minister and being, Unken into account while finalising the proposed measures.

फैक्टरी मालिकों के साथ निरीक्षकों की सांठ-गांठ

2578. श्री देश दत्त यादव :
श्री नागमणि :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फैक्टरी मालिकों के साथ निरीक्षकों की मिली भगत के कारण फैक्टरियों ने प्रॉविडेंट फंड के अंशदान को समय पर जमा नहीं किया है जिसके कारण श्रमिकों को कई प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्योरा क्या है और अंशदान की राशि का राज्य-वार ब्योरा क्या है जिसे समय पर जमा कराने में चूक हुई है ; और

(ग) निरीक्षकों की भूमिका पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या वे मिल मालिकों के पक्ष में कार्य कर रहे हैं और कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ भोज कुवार):(क) से (ग) कुछ नियोजक कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार अपने अंश को जमा कराने में चूक करते हैं। 31.3.1986 की स्थिति के अनुसार ऐसी चूकों का क्षेत्र वार ब्योरा विवरण के रूप में संलग्न है । (नीचे देखिए) नियोजकों द्वारा इन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहने पर उनके विरुद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। जिन मामलों में भविष्य निधि संगठन के निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों को ऐसे चूककर्ता नियोजकों के विरुद्ध पर्याप्त कार्यवाई न करने अथवा